बाबूलाल वगै0 बनाम चन्द्रभान वगै0

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 2022/234

18.11.2022	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील पुनः नम्बर पर लिये जाने का कथन किया । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.08.2022 को सुनवाई हेतु जैरकार थी । प्रार्थीगण के वकील साहब अन्य अदालतों में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में समय पर उपस्थित नहीं हो पाये थे । जिसके कारण उनकी अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई । अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता उक्त कारणवश ही माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे । न्यायहित में उक्त अपील को नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे । प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किये जाने से धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है । रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अपनी अनापत्ति व्यक्त की । हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02.08.2022 को उक्त अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई थी । प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 11.10.2022 को प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः नम्बर पर लिये जाने का प्रस्तुत कर दिया । अपीलान्ट ने दौराने बहस स्वयं के एवं अपने अधिवक्ता के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने के जो कारण बताएं हैं उनमें मुख्य रूप से अपने अधिवक्ता के अन्य न्यायालय में पैरवी हेतु चले जाने का कारण दर्शित किया है । स्वयं प्रार्थी तथा अधिवक्ता प्रार्थी ने अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है । प्रार्थीगण अपीलान्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र विलम्ब पेश किये जाने के जो कारण बताएं वे संतोषप्रद एवं पर्याप्त है। । अतः न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार कर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं । अपील पुनः नम्बर पर ली जावे । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिटर कर दाखिल दफ्तर होकर फैसल शुमार हो । निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मनोज कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा